(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, 1.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 04/2025-State Tax (Rate)

Dated: 6/8/2025

No. F.3 (18)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/ 741 .- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Government's Notification No. 8/2018- State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (94)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/101, dated 23rd February, 2018, namely:-

In the said notification, in the TABLE, against S. No. 4, in column (4), for the entry "6%", the entry "9%" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

Note: -The principal notification number 08/2018 -State Tax (Rate), was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (94)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/101, dated 23rd February, 2018.

By Order and in the Name of the

Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

1172/AC/ 7/8/25

(Ravinder Kumar)
Jt. Secretary (Fin.)

No. F.3 (18)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/ 741

Dated: ..6../..8../2025

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.

1696672/SGST 273/SCTT-I

2. The Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
3. The Secretary to Hon'ble Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
5. S.O to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Additional Chief Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Principal Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
8. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
9. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. The Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.

(Ravinder Kumar)
Jt. Secretary (Fin.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग–IV में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय–I) विभाग,
दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली–110002

अधिसूचना संख्या 04/2025–राज्य कर (दर)

दिनांक : 6/8/2025

फा0सं0 3(18)/वित्त(व्यय–I)/2025–26/डीएस–I/ 741 दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 11 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की अनुशंसाओं पर एतद् द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2018 की फा0सं0 3(94)/वित्त(राजस्व–I)/2017–18/डीएस–VI/101 के द्वारा दिल्ली राजपत्र असाधारण, भाग–IV की धारा 3 की उप–धारा (i) में प्रकाशित सरकार की अधिसूचना संख्या 8/2018–राज्य कर (दर) में निम्नलिखित और अधिक संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

उक्त अधिसूचना की, सारणी में, क्रम संख्या 4 के सामने, कॉलम (4) में, प्रविष्टि "6 प्रतिशत" के स्थान पर प्रविष्टि "9 प्रतिशत" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

टीपः– मूल अधिसूचना संख्या 08/2018–राज्य कर (दर) जो दिनांक 23 फरवरी, 2018 की फा0सं0 3(94)/वित्त(राजस्व–I)/2017–18/डीएस–VI/101 के द्वारा दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग–IV की धारा 3 की उपधारा (i) में प्रकाशित की गई थी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

(रविंदर कुमार)
संयुक्त सचिव (वित्त)

दिनांक : 6/8/2

फा0सं0 3(18)/वित्त(व्यय–I)/2025–26/डीएस–I/ 741
प्रतिलिपि निम्न को सूचना हेतु अग्रसारितः–

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
3. सचिव, माननीय वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।

5. एस0ओ0, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
6. अपर मुख्य सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
7. प्रधान सचिव (सा0प्रशा0वि0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को आज की तिथि में दिल्ली राजपत्र भाग–IV (असाधारण) में अधिसूचना को प्रकाशित करने हेतु अनुरोध सहित।
8. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
9. अपर सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
10. निदेशक, राज्य संसाधन प्रभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
11. वेबसाइट।
12. गार्ड फ़ाइल

(रविंदर कुमार)
संयुक्त सचिव (वित्त)

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 07/2025-State Tax (Rate)

Dated:20/8/2025

No. F.3 (19)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/ 781 .- In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification number 13/2017-State Tax (Rate) published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub-section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/379, dated 30-06-2017, namely:-

In the said notification, in the Table,

(A) against serial number 4, in column (3), after the words "Any person", the words "other than a body corporate" shall be inserted.

(B) against serial number 5AB, in column (4), after the words "Any registered person", the words "other than a person who has opted to pay central tax under composition levy" shall be inserted.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Mangej Singh)
Deputy Secretary (Fin.)

Note: The principal notification number 13/2017 –State Tax (Rate), was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/379, dated 30/06/2017 and last amended *vide* notification number 09/2024-State Tax (Rate) published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (02)/Fin(Exp-I)/2025-26/DS-I/344, dated 22/04/2025.

E-1723220 | SGST

355/SCTT-II
25.08.25

No. F.3 (19)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/ 781

Dated: 20./8.../2025

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
3. The Secretary to Hon'ble Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
5. S.O to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Additional Chief Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
8. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
9. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. The Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.

(Mangej Singh)
Deputy Secretary (Fin.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग IV में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार
वित्त (व्यय–I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेटः नई दिल्ली–110002

अधिसूचना संख्या 07/2025–राज्य कर (दर)

दिनांकः 20/8/2025

सं. एफ.3 (19)/वित्त(व्यय–I)/2025–26/डीएस–I/781:– दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल परिषद की अनुशंसाओं पर एतद् द्वारा दिनांक 30–06–2017 की फा0सं0 3(15)/वित्त(राजस्व–I)/2017–18/ डीएस–VI/379 के द्वारा दिल्ली राजपत्र असाधारण, भाग IV की धारा 3 की उप–धारा (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 13/2017–राज्य कर (दर) में निम्नलिखित और अधिक संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

(i) उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

(क) क्रम संख्या 4 के समक्ष, स्तंभ (3) में, "कोई भी व्यक्ति" शब्दों के पश्चात, "जो कि निगमित निकाय नहीं है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) क्रम संख्या 5 कख के समक्ष, स्तंभ (4) में, "कोई भी पंजीकृत व्यक्ति" शब्दों के पश्चात, "जो कि संयोजन उद्ग्रहण के अंतर्गत केंद्रीय कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाला व्यक्ति नहीं है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के

आदेश से तथा उनके के नाम पर,

(मंगेज सिंह)
उप सचिव (वित्त)

टीपः– मूल अधिसूचना संख्या 13/2017–राज्य कर (दर) दिनांक 30.06.2017 की फा0 सं0 3 (15)/वित्त (राजस्व–I)/2017–18/डीएस–VI/379 के द्वारा दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग–IV की धारा 3 की उपधारा (i) में प्रकाशित की गई थी तथा जो अंतिम बार दिनांक 22.04.2025 की फा0 सं0 3 (02)/वित्त (व्यय– I)/ 2025–26/डीएस–I/344 के द्वारा दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग–IV की धारा 3 की उपधारा (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 09/2024–राज्य कर (दर) द्वारा संशोधित की गयी थी।

दिनांक : 20/8/2025

फा0सं0 3(19)/वित्त(व्यय–I)/2025–26/डीएस–I/781

प्रतिलिपि निम्न को सूचना हेतु अग्रसारितः–

प्रतिलिपि निम्न को सूचना हेतु अग्रसारितः–

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
3. सचिव, माननीय वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
5. एस0ओ0, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
6. अपर मुख्य सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
7. सचिव (सा0प्रशा0वि0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को आज की तिथि में दिल्ली राजपत्र भाग–IV (असाधारण) में अधिसूचना को प्रकाशित करने हेतु अनुरोध सहित।
8. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
9. अपर सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
10. निदेशक, राज्य संसाधन प्रभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
11. वेबसाइट।
12. गार्ड फ़ाइल

(मंगेज सिंह)
उप सचिव (वित्त)